

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. घासीलाल पुत्र रामोतार जाति अग्रवाल निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 751/2025

जीसीएमएस नं0 2025/1370

आदेश

दिनांक - 14/11/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम गणेश्वर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 184 में वादी के भाई का गलत दर्ज नाम "पप्पू पुत्र ग्यारसीलाल" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "जितेन्द्र अग्रवाल पुत्र ग्यारसीलाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

डिक्की मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रुल 6-7 जाबता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. घासीलाल पुत्र रामोतार जाति अग्रवाल निवासी गणेश्वर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड
मुकदमा नं. २३१ सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुहई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम गणेश्वर तहसील नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 184 में वादी के भाई का गलत दर्ज नाम "पप्पू पुत्र ग्यारसीलाल" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "जितेन्द्र अग्रवाल पुत्र ग्यारसीलाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

जिज्द मुबलिया बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बसतह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
बसतह मेरे दस्तखत ब-मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर



दस्तखत
ओब्दा
(Signature)

	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।